बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं०:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 29 जून 2025

बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 की प्रगति - अब तक एक करोड़ से अधिक मतदाताओं को वितरित हो चुके हैं गणना फॉर्म

बिहार में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों के मद्देनज़र भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 का कार्य राज्य भर में तीव्र गति से चल रहा है। यह प्रक्रिया 25 जून 2025 से प्रारंभ हुई है, जिसके अंतर्गत मतदान केंद्र पदाधिकारी द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (Enumeration Form) का वितरण किया जा रहा है। अब तक राज्य के विभिन्न जिलों में एक करोड़ से अधिक मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में बिहार देश का प्रथम ऐसा राज्य है जहां पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है।

इस प्रक्रिया के तहत मतदान केंद्र पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें घर-घर जाकर सत्यापन और गणना फॉर्म के वितरण-संकलन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतदाताओं तक गणना प्रपत्र को सुलभता से उपलब्ध कराने हेतु तथा निर्वाचन मशीनरी को पूर्ण मनोयोग और मनोबल के साथ इस कार्य में समर्पित बनाए रखने के लिए राज्य के सभी जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी स्वयं फील्ड भ्रमण कर रहे हैं। वे मतदान केंद्र पदाधिकारियों के साथ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण कर रहे हैं एवं उनके कार्यों का निरीक्षण कर अभियान की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में बिहार के सभी राजनीतिक दल सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। अब तक 1.5 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) की नियुक्ति की जा चुकी है जो प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता सूची के सत्यापन में लगे हुए हैं। सभी राजनीतिक दल लगातार और अधिक बीएलए नियुक्त कर रहे हैं ताकि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित हो सके।

भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सलाह दी है कि वे समय रहते प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपने बीएलए नियुक्त करें ताकि बाद में मतदाता सूची में त्रुटियों की शिकायत करने की आवश्यकता ही न पड़े। आयोग का स्पष्ट मत है कि सही समय पर सहभागिता से ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रह सकती है।

वर्तमान 7,89,69,844 मतदाताओं में से लगभग 4.96 करोड़ मतदाताओं के नाम पहले से दिनांक 01.01.2003 की अंतिम गहन पुनरीक्षित मतदाता सूची में शामिल हैं। ऐसे मतदाताओं को केवल अपनी प्रविष्टियों की पुष्टि करनी है और गणना प्रपत्र भरकर जमा करना है। इसके अतिरिक्त यदि किसी मतदाता के माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति 01.01.2003 तक मतदाता सूची में शामिल रहा है तो ऐसे व्यक्ति को इस विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के दौरान नामांकन के लिए उनसे संबंधित किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी चाहे उस व्यक्ति की जन्मतिथि कुछ भी हो।

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की नियमित गतिविधियों को देखने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के सोशल मीडिया हैंडल्स में भी सभी अपडेट जा रहे हैं।

कार्य को गति देने हेतु सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय स्तर पर आंगनबाड़ी सेविकाओं, विकास मित्रों, जीविका दीदियों, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र आदि के स्वयंसेवकों की सहायता लें। ये स्वयंसेवक न केवल मतदाताओं को फॉर्म भरने में सहायता करेंगे, बल्कि मतदान केंद्र पदाधिकारियों को वितरण व संग्रहण कार्य में भी सहयोग प्रदान करेंगे।

इसके अतिरिक्त https://voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से भी मतदाता स्वयं गणना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं।

इस विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रमुख तिथियाँ इस प्रकार हैं:

घर-घर सर्वेक्षण: 25 जून से 26 जुलाई 2025

प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन: 1 अगस्त 2025

दावा और आपत्ति की अवधि: 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025

अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 30 सितंबर 2025

राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विनोद सिंह गुंजियाल ने प्रत्येक मतदाता से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने में सक्रिय सहभागिता निभाएँ। उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से आग्रह किया है कि वे समय रहते अपना गणना प्रपत्र भरें, ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से सत्यापन सुनिश्चित करें एवं इस ऐतिहासिक पुनरीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा बनें। किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।